राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

598/2018 देवीसिंह / लक्ष्मीनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/09/19	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित अपी. द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल O39 R4 CPC सपठित दिनांक 04/10/19 को पेश हो। धारा 151 CPC प्रस्तुत किया।	
04/10/19	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 08/11/19 को पेश हो।	
08/11/19	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों. उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 17/12/19 को पेश हो।	
17/12/19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभि. उभयपक्ष उपस्थित। अभि. अपीलान्ट ने निवेदन किया कि धारा 225 RTAct से सम्बन्धित मूल वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णित हो चुका है, जिससे अब यह अपील सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज फरमाई जावे। जिस पर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने भी अपनी सहमति जाहिर की। अतः अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों के अनुसार यह अपील सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर